भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/334

विवि.एससी.आरईसी.सं.253/21.04.018/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 (1 अप्रैल, 2026 तक अद्यतन)

विषयवस्तु की तालिका

अध्याय-I प्रारंभिक ... 3

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ ... 3

बी. प्रयोज्यता ... 3

अध्याय-II तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते का प्रारूप और समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी ... 4

अध्याय-III कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन ... 7

अध्याय-IV वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' ... 13

ए. सामान्य ... 13

बी. प्रस्तुति ... 13

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ... 13

अध्याय-V समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग (सीपीआर) आवश्यकताएँ ... 60

ए. दायरा ... 60

बी. आवृत्ति ... 60

सी. प्रारूप ... 60

डी. अन्य समेकन अनुदेश ... 61

ई. समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर) दाखिल करने के लिए मार्गदर्शन ... 61

अध्याय-VI निरसन और अन्य प्रावधान ... 70

ए. निरसन और व्यावृत्ति ... 70

बी. अन्य कानूनों का लागू करना प्रतिबंधित नहीं है ... 70

सी. व्याख्याएं 71

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में और वित्तीय क्षेत्र की नीति के हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय-I प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (जिन्हें आगे सामूहिक और व्यक्तिगत रूप रूप से 'एआईएफआई' कहा जाएगा) पर लागू होंगे, जैसे कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), और राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक ('नैबफिड')।

अध्याय-II तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते का प्रारूप और समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी

4. एआईएफआई, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों /दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर संशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा। एआईएफ़आई उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कारोबारों के संबंध में वर्ष या अवधि, जैसी स्थिति हो, के अंतिम कार्यदिवस के आधार पर तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेंगे, जिनका स्वरूप और तरीका उनके कार्यकलापों को अधिशासित करने वाले अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. एकल स्तर के वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, एआईएफआई द्वारा समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) भी तैयार किया जाएगा और उसका प्रकटीकरण किया जाएगा।

6. सीएफएस को 'लेखा मानक (एएस) 21 - समेकित वित्तीय विवरण' और अन्य संबंधित लेखांकन मानकों, जैसे 'एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन' और 'एएस 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार तैयार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, 'मूल कंपनी', 'अनुषंगी कंपनी', 'सहयोगी कंपनी', 'संयुक्त उद्यम', 'नियंत्रण' और 'समूह' शब्दों का वही अर्थ होगा जो लागू लेखांकन मानकों में उन्हें दिया गया है।

7. सीएफएस प्रस्तुत करने वाली मूल एआईएफआई सभी अनुषंगी कंपनियों - घरेलू और विदेशी दोनों को समेकित करेगी, सिवाय उनके जिन्हें एएस 21 के तहत विशेष रूप से बाहर रखने की अनुमति दी गई है। अनुषंगी कंपनी को समेकित न करने के कारणों का प्रकटीकरण सीएफएस में किया जाएगा। किसी विशेष इकाई को समेकन में शामिल किया जाए या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल इकाई के प्रबंधन की होगी और सांविधिक लेखा परीक्षकों को इस संबंध में टिप्पणी करनी होगी यदि उन्हें लगता है कि किसी ऐसी इकाई को समेकित नहीं किया गया है जिसे समेकित किया जाना चाहिए था।

8. सीएफएस में सामान्यतः समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, प्रमुख लेखांकन नीतियां और 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' होंगे।

9. समेकन में उपयोग किए जाने वाले वित्तीय विवरण, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ही तैयार किए जाएंगे। यदि यह संभव नहीं है, तो एएस 21 अनुषंगी कंपनियों की छह महीने

पुरानी तुलन-पत्र को अपनाने की अनुमति देता है और यह निर्धारित करता है कि इस बीच की अवधि में हुए महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य घटनाओं के प्रभावों के लिए समायोजन किया जाएगा। यदि मूल कंपनी और अनुषंगी कंपनियों की तुलन-पत्र की तिथियां भिन्न हैं, तो अंतर-समूह नेटिंग मूल कंपनी की तुलन-पत्र तिथि के अनुसार की जाएगी। यदि तुलन-पत्र तिथि एआईएफआई की तुलन-पत्र तिथि के साथ मेल खाती है, तो एआईएफआई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनियों के लेखा-परीक्षा की प्रतीक्षा किए बिना अपना सीएफएस प्रकाशित करेगा। हालांकि, एआईएफआई को मूल कंपनी के खातों के साथ समेकन से पहले ऐसी अनुषंगी कंपनियों के खातों का सांविधिक लेखा-परीक्षा पूरा करना सुनिश्चित करना होगा।

10. समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके सीएफएस तैयार किया जाएगा। यदि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, तो इस तथ्य का प्रकटीकरण सीएफएस में उन मदों के अनुपात के साथ किया जाएगा जिन पर अलग-अलग लेखांकन नीतियां लागू की गई हैं। समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके सीएफएस तैयार करने के लिए, एक एआईएफआई अनुषंगी कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत गैर-समान लेखांकन नीतियों के लिए समायोजन विवरण पर निर्भर करेगा।

11. यदि किसी समूह की विभिन्न संस्थाएँ अलग-अलग व्यवसायों के लिए संबंधित विनियामक द्वारा निर्धारित विभिन्न लेखांकन मानदंडों द्वारा शासित होती हैं, तो समेकन के प्रयोजन हेतु, एक एआईएफआई समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में होने वाली अन्य घटनाओं के संबंध में एआईएफआई पर लागू नियमों और विनियामक आवश्यकताओं का उपयोग करेगा। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक मानदंड निर्धारित किए गए हैं, तो लेखांकन मानकों के अनुसार लागू मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

12. मूल्यांकन के लिए, सहयोगी कंपनियों में निवेश (एएस 23 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से छूटप्राप्त के अलावा) को एएस 23 के अनुसार लेखांकन की 'इक्विटी विधि' के तहत लेखांकित किया जाएगा।

13. गैर-समेकित अनुषंगी कंपनियों और एएस 23 के अंतर्गत बहिष्कृत सहयोगी कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त उद्यमों में निवेश का मूल्यांकन एएस 27 के अनुसार 'आनुपातिक समेकन' विधि के तहत किया जाएगा। एक एआईएफआई विशिष्ट परिस्थितियों में अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या

संयुक्त उद्यमों को समेकन से बहिष्कृत करने से संबंधित लेखा मानकों के प्रावधानों को ध्यान में रख सकता है।

14. एकल स्तरीय वित्तीय विवरण और सीएफएस को एआईएफआई के वार्षिक खातों के प्रकाशन के एक महीने के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय-III कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

15. एक एआईएफआई को कुछ लेखांकन मानकों के अनुप्रयोग में प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित का भी पालन करना होगा।

(1) **लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता**

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक निदेशों के अनुपालन में अनर्जक अग्रिमों और अनर्जक निवेशों के मामले में एआईएफआई द्वारा आय की मान्यता न देने पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई आपत्ति (क्वालिफिकेशन) नहीं की जाएगी, क्योंकि यह मानक के प्रावधानों के अनुरूप होगा, क्योंकि यह राजस्व की स्वीकृति को स्थगित करने की मान्यता देता है जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है।

(ii) उक्त मानक में आय निर्धारण के संबंध में आय की कोई मद महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, यदि वह एआईएफआई की कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है, यदि आय को एकल आधार पर गिना जाता है, अथवा निवल लाभ (कराधान पूर्व) का एक प्रतिशत, यदि आय को लागत से निवल आधार पर गिना जाता है।

(iii) यदि आय की कोई मद उपरोक्त मानदंडों के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है, तो उसे प्राप्त होने पर मान्यता दी जा सकती है।

(2) **लेखांकन मानक 11 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव**

एएस 11 विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों के लेखांकन के संदर्भ में तथा विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के संपरिवर्तन के संदर्भ में लागू होता है। इस संदर्भ में उत्पन्न मुद्दों की पहचान की गई है और एआईएफआई मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय निम्नलिखित से निर्देशित हो सकता है:

(i) **अभिन्न और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों का वर्गीकरण**

एएस 11 के पैराग्राफ 17 में कहा गया है कि विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त पद्धति उस तरीके पर निर्भर करती है जिसमें रिपोर्टिंग उद्यम के संबंध में इसे वित्तपोषित और परिचालन किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए विदेशी परिचालनों को या तो 'अभिन्न

विदेशी परिचालन' अथवा 'गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है'। ये वर्गीकरण केवल मानक के अनुपालन के सीमित प्रयोजन के लिए हैं।

(ii) **विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद के लिए विनिमय दर।**

मानक के पैराग्राफ 10 में व्यावहारिक कारणों से, लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर दर का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। मानक में यह भी कहा गया है कि यदि विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव होता है, तो किसी अवधि के लिए औसत दर का उपयोग अविश्वसनीय है। चूंकि उद्यमों को लेन-देन की तिथि पर ही लेन-देन दर्ज करना आवश्यक है, इसलिए संबंधित सप्ताह में होने वाले लेन-देन को दर्ज करने के लिए पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग किया जा सकता है, यदि यह लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर हो। लेन-देन की तिथियों पर विनिमय दरों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए और चूंकि मानक लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर दर के उपयोग की अनुमति देता है, इसलिए एआईएफआई नीचे दिए गए विवरण के अनुसार औसत दरों का उपयोग कर सकता है:

(ए) फेडाई विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रत्येक सप्ताह के अंत में साप्ताहिक औसत समापन दर और प्रत्येक तिमाही के अंत में त्रैमासिक औसत समापन दर प्रकाशित करता है।

(बी) वे विदेशी मुद्रा लेनदेन, जो वर्तमान में लेनदेन की तिथि पर भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं या काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किए जा रहे हैं, अब लेनदेन की तिथि पर फेडाई द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग करके दर्ज किए जा सकते हैं, यदि यह लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर हो।

(सी) प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर का उपयोग तिमाही के दौरान गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन की आय और व्यय मदों का अनुवाद करने के लिए किया जा सकता है।

(डी) यदि पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर नहीं है, तो लेन-देन की तिथि पर प्रचलित समापन दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर को लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर नहीं माना जाएगा यदि (i) पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर और (ii) लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के बीच का अंतर (ii) के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक हो। गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के संबंध में, यदि तिमाही के दौरान विनिमय दर में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव होता है, तो गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन की आय और व्यय मदों का अनुवाद तिमाही औसत समापन दर के बजाय लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि दोनों दरों के बीच का अंतर लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के सात प्रतिशत से अधिक हो।

(ई) एआईएफआई को भारतीय शाखाओं/कार्यालयों के साथ-साथ अभिन्न विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित करने के लिए स्वयं को सुसज्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(iii) **समापन दर**

मानक के पैराग्राफ 7 में 'समापन दर' को तुलन-पत्र की तिथि पर विनिमय दर के रूप में परिभाषित किया गया है। एआईएफआई के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए एएस 11 (संशोधित 2003) के प्रयोजनों के लिए लागू की जाने वाली समापन दर, उस लेखा अवधि के लिए फेडाई द्वारा घोषित अंतिम समापन स्पॉट विनिमय दर होगी।

(iv) **विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीटीआर)**

विदेशी शाखाओं से संचित लाभ/प्रतिधारित आय की वापसी पर एफसीटीआर से लाभ और हानि खाते में लाभ की मान्यता के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि संचित लाभ की वापसी को एएस 11 के अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन में हिस्सेदारी का निपटान या आंशिक निपटान नहीं माना जाएगा। तदनुसार, एक एआईएफआई विदेशी परिचालन से लाभ की वापसी पर एफसीटीआर में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं देगा।

(3) **लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणो में निविशो हेतु लेखांकन (सीएफएस)**

(i) यह लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों में समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर सहयोगी कंपनियों में निवेश के प्रभावों को पहचानने के लिए सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।

(ii) मानक के अनुसार किसी सहयोगी कंपनी में निवेश को कुछ अपवादों के अधीन इक्विटी पद्धति के तहत समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकित किया जाएगा।

(iii) सहयोगी शब्द को एक ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, और जो न तो निवेशक की अनुषंगी कंपनी है और न ही संयुक्त उद्यम है।

(iv) महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ है निवेशित कंपनी के वित्तीय और/या परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं। ऐसा प्रभाव शेयर स्वामित्व, क़ानून या समझौते के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शेयर स्वामित्व के संबंध में, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से निवेशित कंपनी की 20 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान शक्ति रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाए कि ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से निवेशित कंपनी की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाए। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त या बहुमत स्वामित्व होने से निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होना आवश्यक रूप से बाधित नहीं होता है। मुद्दा यह है कि क्या किसी एआईएफआई द्वारा किसी उद्यम में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने से, जिसके आधार पर वह 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है, एएस 23 के प्रयोजन के लिए निवेशक-सहयोगी संबंध स्थापित होगा।

(v) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कोई एआईएफआई अपने ऋणों की पूर्ति के लिए उधारकर्ता इकाई में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति प्राप्त कर ले, फिर भी वह यह सिद्ध कर सकती है कि उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग किए

गए अधिकार सुरक्षात्मक प्रकृति के हैं, न कि सहभागी। ऐसी स्थिति में, इस लेखा मानक के अंतर्गत ऐसे निवेश को सहयोगी में निवेश नहीं माना जा सकता। अतः, परीक्षण केवल निवेश के अनुपात पर आधारित नहीं होगा, बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति प्राप्त करने के इरादे पर आधारित होगा।

(4) **लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ**

(i) यह मानक उन अमूर्त संपत्तियों के लेखांकन उपचार को निर्धारित करता है जिनका उल्लेख किसी अन्य लेखांकन मानक में विशेष रूप से नहीं किया गया है। कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के संबंध में, जिसे किसी एआईएफआई के उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है और जिसके कुछ समय तक उपयोग में रहने की उम्मीद है, इस मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के संबंध में विस्तृत मान्यता और परिशोधन सिद्धांत इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है और इसका पालन एआईएफआई द्वारा किया जा सकता है।

(5) **लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग**

(i) यह मानक संयुक्त उद्यमों में हितों के लेखांकन और उद्यमों और निवेशकों के वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्टिंग में लागू होता है, चाहे संयुक्त उद्यम गतिविधियां किसी भी संरचना या रूप में हों।

(ii) यह मानक संयुक्त उद्यमों के तीन व्यापक प्रकारों को परिभाषित करता है, अर्थात् संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ। संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के मामले में, जहाँ किसी एआईएफआई को समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा-जोखा इस मानक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) संयुक्त नियंत्रित परिचालन और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के रूप में संयुक्त उद्यमों के संबंध में, यह लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के लिए भी लागू होता है।

(6) **लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का मूल्यह्रास**

(i) यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिनका पालन कोई उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसकी आस्तियों का मूल्य उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मानक निवेश, भंडार और ऋण एवं अग्रिम जैसी वित्तीय आस्तियों पर लागू नहीं होगा और सामान्यतः अचल आस्तियों से संबंधित मामलों में लागू होगा।

(ii) यह मानक सामान्यतः वित्तीय पट्टे की संपत्तियों और दावों के निपटान में अधिग्रहित संपत्तियों पर तभी लागू होगा जब इकाई के मूल्यह्रास के संकेत स्पष्ट हों।

अध्याय-IV वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ'

16. एक एआईएफआई वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ'में इस अध्याय में निर्दिष्ट जानकारी का प्रकटीकरण करेगा।

स्पष्टीकरण 1: ये प्रकटीकरण केवल अन्य कानूनों, विनियमों या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के पूरक के रूप में हैं, न कि उनके स्थान पर।

स्पष्टीकरण 2: इस निदेश में उल्लिखित प्रकटीकरण केवल न्यूनतम हैं और एआईएफआई को अपने विशिष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे जाने वाले अतिरिक्त प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ए. सामान्य

17. इन निदेशों में सूचीबद्ध मदों का प्रकटीकरण एकल स्तरीय वित्तीय विवरणों और सीएफएस दोनों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में किया जाएगा। जहां आवश्यक हो, एआईएफआई अतिरिक्त प्रकटीकरण करेगा। जब तक विशेष रूप से इंगित न किया जाए, अनुषंगी कंपनियों से संबंधित विवेकपूर्ण मदों को खातों के नोट्स में प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से समेकित किया जाएगा, जैसा कि इसकी बही-खातों/वित्तीय विवरणों/खातों के नोट्स में दर्शाया गया है (एआईएफआई पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप कोई समायोजन किए बिना)।

बी. प्रस्तुति

18. 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' और 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' 'का सारांश अलग से दिखाया जाएगा।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

19. तुलन-पत्र की विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त, एक एआईएफआई को 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।:

(1) **पूंजी पर्याप्तता***

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं ख्या	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों के बाद, यदि कोई हो)		
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी		
iii)	टियर 1 पूंजीI (i + ii)		
iv)	टियर 2 पूंजीI		
v)	कुल पूंजीI (टियर 1 + टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)		
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1, आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)		
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		
x)	जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी (सीआरएआर) (कुल पूंजी, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
xi)	लीवरेज दर		
xii)	निम्नलिखित की शेयरधारिता का प्रतिशत: क) भारत सरकार ख) अन्य वाणिज्यिक बैंक ग) अन्य वित्तीय संस्थान (अन्य एआईएफआई सहित)		
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि		
xiv)	गैर-इक्विटी की राशि 1 वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी, जिसमें से: लिखत के प्रकार (स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर, ऋण पूंजी लिखत आदि) के अनुसार सूची ** दें। एक एआईएफआई को यह भी स्पष्ट करना होगा कि लिखत बासेलI या बासेल III के अनुरूप हैं या नहीं।		

क्रम संख्या	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
xv)	राशि वर्ष के दौरान जुटाई गई 2 पूंजी, जिनमें से लिखत के प्रकार (शाश्वत संचयी / रिडीमेबल गैर-संचयी वरीयता शेयर, ऋण पूंजी लिखत, आदि) के अनुसार सूची दें***। एक एआईएफआई को यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि लिखत बासेलI या बासेल III के अनुरूप हैं या नहीं।		

नोट -

*सीएफएस के लिए, अनुषंगी कंपनियों की जोखिम भारित आस्तियों की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार काल्पनिक रूप से पुनर्गणना की जाएगी।

*उदाहरण: एक एआईएफआई निम्नलिखित प्रकार से प्रकटीकरण कर सकता है:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
गैर-इक्विटी की राशि 1 पूंजी जो उस वर्ष के दौरान जुटाई गई थी:	###	###
ए) बासेल III के अनुरूप स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर। बी) बासेल III के अनुरूप स्थायी ऋण लिखत। सी)	###	###

*** उदाहरण: एक एआईएफआई निम्नलिखित प्रकार से प्रकटीकरण कर सकता है:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राशि 2 पूंजी उस वर्ष के दौरान जुटाई गई जिसमें:	###	###
ए) बासेल III के अनुरूप स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर। बी) बासेल III के अनुरूप स्थायी ऋण लिखत।	###	###

(2) **प्रावधान**

(i) **मानक आस्तियों पर प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		

(ii) **फ्लोटिंग प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
(ए) प्रारंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान		
(सी) घटाएँ: वर्ष के दौरान कम की गई राशि		
(डी) फ्लोटिंग प्रावधानों की अंतिम शेष राशि		

नोट: लेखा वर्ष के दौरान की गई निकासी का उद्देश्य अवश्य बताया जाना चाहिए।

(3) **आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान**

(i) **अनर्जक अग्रिम (एनपीए)**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
(i) शुद्ध अग्रिमों के लिए शुद्ध एनपीए (%)		
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन		
(सी) वर्ष के दौरान कटौती		
(डी) समापन शेष		
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन		
(सी) वर्ष के दौरान कटौती		
(डी) समापन शेष		
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / राइट बैक		
(डी) समापन शेष		

(ii) **अनर्जक निवेश (एनपीआई)**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i) शुद्ध निवेशों के मुकाबले शुद्ध एनपीआई (%)		
(ii) एनपीआई (सकल) की गतिविधि		

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान हुई वृद्धि		
(सी) वर्ष के दौरान हुई कमी		
(डी) समापन शेष		
(iii) नेट एनपीआई की गतिविधि		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान हुई वृद्धि		
(सी) वर्ष के दौरान हुई कमी		
(डी) समापन शेष		
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / राइट बैक		
(डी) समापन शेष		

नोट - अनर्जक निवेशों की रिपोर्टिंग के लिए, कुल निवेशों में वे निवेश शामिल नहीं होंगे जिन्हें पूंजीगत पर्याप्तता ढांचे के तहत शून्य जोखिम भार सौंपा गया है।

(iii) **अनर्जक आस्तियाँ** [3(i)+3(ii)]

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) शुद्ध आस्तियों (अग्रिम ऋण + निवेश) के मुकाबले शुद्ध अनर्जक आस्तियां (एनपीए) (%)		
(ii) एनपीए (सकल अग्रिम + सकल निवेश) की गतिविधि		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान हुई वृद्धि		
(सी) वर्ष के दौरान हुई कमी		
(डी) समापन शेष		
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान हुई वृद्धि		
(सी) वर्ष के दौरान हुई कमी		
(डी) समापन शेष		
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) आरंभिक शेष		
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / राइट बैक		
(डी) समापन शेष		

(iv) **समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण**

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के अंतर्गत आने वाली कोई भी एआईएफआई कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित उचित प्रकटीकरण अपने वित्तीय विवरणों में करेगी। संदर्भित परिपत्र के अनुसार, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण शेयरों का अधिग्रहण पूंजी बाजार में निवेश, अर्ध-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और समूह के भीतर निवेश पर

विनियामक सीमाओं/प्रतिबंधों से मुक्त होगा। हालांकि, एआईएफआई को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के लेखा संबंधी नोटों में इसका विवरण देना होगा।

(v) **परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण**

ऋणदाता को परियोजना वित्तपोषण से संबंधित उचित प्रकटीकरण निम्नानुसार करने होंगे:

क्र.सं,	**मद विवरण**	**खातों की संख्या**	**कुल बकाया (₹ करोड़ में)**
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते।		
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं।		
3	उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन खातों में जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल किया गया है		
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं का विवरण (1+2-3)		
5	'4' में से – वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।		
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की जा चुकी है।		
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।		
5.3	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।		
6	'5' खातों में से, जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।		

क्र.सं,	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि को वित्त पोषित किया गया था।		
7.1	उन '7' खातों में से, जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था।		
7.2	'7' खातों में से, जहाँ एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत नहीं किया गया था या निरंतर नवीनीकृत नहीं किया गया था		
8	'4' में से – वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं करने वाली समाधान प्रक्रिया को लागू किया गया है।		
8.1	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
8.2	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।		
8.3	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।		

नोट: एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित रूप में, द्वारा निर्देशित होगा।

(vi) **अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की गतिविधियां**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लेखा अवधि की शुरुआत की तारीख को सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)* (आरंभिक शेष)		
वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन (नए एनपीए)		

उप-कुल (ए)		
कम:		
(i) उन्नयन		
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोड़कर)		
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण** राइट ऑफ		
(iv) उपरोक्त (iii) के तहत बट्टे खाते में डाले गए		
उप – जोड़ (बी)		
अगले वर्ष 31 मार्च तक सकल एनपीए (समापन शेष) (ए-बी)		

नोट –

* भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट सकल अनर्जक आस्तियाँ

(vii) **बट्टे खाते में डालना और वसूली**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अप्रैल 1 तक तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों का आरंभिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए तकनीकी / विवेकपूर्ण खाते		
उपकुल (ए)		
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले से तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से प्राप्त की गई वसूली (बी)		
31 मार्च की स्थिति के अनुसार समापन शेष (ए-बी)		

(viii) **विदेशी आस्तियाँ, गैर-प्राप्त आस्तियाँ और राजस्व**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल आस्ति		
कुल एनपीए		

कुल राजस्व		

(ix) **मूल्यह्रास और निवेश पर प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
(iii) निवल निवेश		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
(2) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में प्रावधानों का आंदोलन आयोजित किया गया		
(i) आरंभिक शेष		
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii) यदि वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से कोई विनियोजन किया गया हो		
(iv) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को अपदस्थ करना/वापस लेना		
(v) घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में अंतरण, यदि कोई हो		
(vi) समापन शेष		

(x) **प्रावधान एवं आकस्मिकताएं**

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय मद के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' का विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए किया गया प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		

(xi) **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)**

चालू वर्ष और पिछड़े वर्ष के लिए व्यवसाय की समाप्ति पर पीसीआर (सकल अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का अनुपात) का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(4) **निवेश पोर्टफोलियो: गठन और परिचालन**

(i) **रेपो लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	31 मार्च तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ i. सरकारी प्रतिभूतियाँ ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ i. सरकारी प्रतिभूतियाँ ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				

(ii) **ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं,	**जारीकर्ता**	**कुल धनराशि**	**की मात्रा**			
			निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया निवेश	**'निवेश ग्रेड से नीचे' धारित प्रतिभूतियाँ**	**'अमूल्यांकित' धारित प्रतिभूतियाँ**	**'असूचीबद्ध' धारित प्रतिभूतियाँ**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पीएसयू					
2.	एफआई					
3.	बैंक					
4.	निजी कॉरपोरेट्स					
5.	अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम					
6.	अन्य					
7.	मूल्यह्रास के लिए आयोजित प्रावधान					
	कुल *					
#	कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि।					

नोट - (1) कॉलम 3 के अंतर्गत कुल तुलन-पत्र में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल कुल निवेश के साथ मिलान किया जाएगा:

(ए) शेयर

(बी) डिबेंचर और बॉन्ड

(सी) अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम

(डी) अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती है।

(iii) **एचटीएम श्रेणी से / में बिक्री और अंतरण**

यदि एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो एआईएफआई को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश का बाजार मूल्य प्रकट करना होगा और बही मूल्य से बाजार मूल्य के उस अतिरिक्त हिस्से को दर्शाना होगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण एआईएफआई के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखा संबंधी टिप्पणियों' में किया जाना आवश्यक है।

(iv) **सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)**

जैसा कि ...(चालू वर्ष तुलन-पत्र की तारीख)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**31 मार्च तक बकाया**	**वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ लेन-देन					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

नोट - प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति उधार) निदेश, 2023 में समय-समय पर संशोधित रूप में निर्दिष्ट अनुसार होगा। सुगम संदर्भ के लिए, इस निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

जैसा कि ...(पिछला वर्ष तुलन-पत्र की तारीख)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च तक बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ लेन-देन					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

(5) **ऋण जोखिमों के अंतरण का प्रकटीकरण**

ऋणदाता अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' के अंतर्गत, नीचे निर्धारित अनुसार अन्य संस्थाओं को अंतरित और उनसे प्राप्त किए गए गैर-अपमानित ऋणों / दबावग्रस्त ऋणों की कुल राशि से संबंधित उचित प्रकटीकरण तिमाही आधार पर करेगा।

(i) अनिवरतन न होने वाले ऋणों के अंतरण या अधिग्रहण के संबंध में, प्रकटीकरण में भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत धारण अवधि, लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण, मूर्त प्रतिभूति कवरेज का दायरा और रेटिंग-वार रेटेड ऋणों का वितरण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से, अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का प्रकटीकरण करना होगा जहां उसने अंतरित ऋणों को अंतरित प्राप्तकर्ता(ओं) को बदलने या किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न क्षतिपूर्ति का भुगतान

करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रकटीकरण में असाइनमेंट/नोवेशन और ऋण भागीदारी के माध्यम से अंतरित/अधिग्रहित ऋणों का विस्तृत विवरण भी शामिल होगा।

(ii) अंतरित या अधिग्रहीत दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए।:

वर्ष के दौरान अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग विवरण दिया जाना चाहिए)			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में हैं)	**एआरसी के लिए**	**अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए**	**अन्य स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)**
खातों की संख्या			
अंतरित ऋणों की कुल बकाया मूल राशि			
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			
अंतरण के समय ऋणों का बही मूल्य (निलंबन के समय)			
समग्र विचार			
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल			
वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों का विवरण			

(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में हैं)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों की कुल बकाया मूल राशि		
कुल भुगतान की गई राशि		
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

अंतरणकर्ता को दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ-हानि खाते में समायोजित की गई अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में उचित जानकारी भी देनी चाहिए। साथ ही, ऋणदाता को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अपने पास मौजूद प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के वितरण का भी प्रकटीकरण करना चाहिए।

नोट - ये प्रकटीकरण मूल रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट हैं और संदर्भ की सुगमता के लिए इन्हें यहाँ केवल पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में इन निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, बाद वाला मान्य होगा। लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, एआईएफआई को तुलना में सुगमता के लिए चालू और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रदान करने चाहिए।

(6) सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) पर प्रकटीकरण:

(ए) मौजूदा नियमों के तहत लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त, एक एआईएफआई को अपनी वेबसाइट पर सभी सक्रिय सीएलए भागीदारों की सूची भी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।

(बी) एआईएफआई को अपने वित्तीय विवरणों में, ''लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' के अंतर्गत, सीएलए से संबंधित आवश्यक विवरणों का समग्र रूप से प्रकटीकरण करना होगा। इन विवरणों में सीएलए की राशि, भारित औसत ब्याज दर, लगाए गए / भुगतान किए गए शुल्क, वे व्यापक क्षेत्र जिनमें सीएलए किया गया था, सीएलए के तहत ऋणों का प्रदर्शन, यदि कोई हो तो चूक हानि गारंटी से संबंधित विवरण आदि शामिल हो सकते हैं। यह प्रकटीकरण त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

नोट: क्रेडिट जोखिम अंतरण (सीएलए) के संबंध में, एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - क्रेडिट जोखिम का स्थानांतरण एवं के निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित होगा। ये निदेश 1 जनवरी, 2026 से या एआईएफआई द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित किसी भी पूर्व तिथि से ("प्रभावी तिथि") लागू होंगे। प्रभावी तिथि के बाद किए गए किसी भी नए सीएलए को इन निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(7) **गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएं**: एक एआईएफआई को एनएफबी ऋण सुविधाओं का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में प्रकट करना होगा।

		31 मार्च 20XX तक	**31 मार्च 20XX तक**	**पिछला वर्ष**	**पिछला वर्ष**
		सुरक्षित* भाग	**असुरक्षित भाग**	**सुरक्षित* भाग**	**असुरक्षित भागअसुरक्षित भाग**
I	बकाया गारंटी (₹ करोड़)				
	i) भारत में				
	ii) भारत के बाहर				

		31 मार्च 20XX तक	31 मार्च 20XX तक	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष
		सुरक्षित* भाग	असुरक्षित भाग	सुरक्षित* भाग	असुरक्षित भागअसुरक्षित भाग
II	स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्व (₹ करोड़)				
III	अन्य एनएफबी क्रेडिट सुविधाएं (₹ करोड़)				
* सुरक्षित भाग भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित है।					

नोट: गैर-भारतीय वित्तीय संस्थानों (एनएफबी) की ऋण सीमा के संबंध में, एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण सुविधाएँ) के निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित होगा। ये निदेश 1 अप्रैल, 2026 से या एआईएफआई द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित किसी भी पूर्व तिथि से ("प्रभावी तिथि") लागू होंगे। प्रभावी तिथि के बाद किसी भी नई एनएफबी सुविधा का विस्तार और मौजूदा एनएफबी सुविधा का नवीनीकरण इन निदेशों के अनुसार होगा। प्रभावी तिथि तक विस्तारित/नवीनीकृत सभी मौजूदा एनएफबी सुविधाएं संबंधित एआईएफआई पर लागू मौजूदा निदेशों द्वारा शासित होंगी।

(8) परिचालन परिणाम

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय $ (iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ $ (iv) आस्तियों पर प्रतिफल @ (v) इक्विटी पर प्रतिफल # (vi) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)		

$ कार्यशील निधि की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (यदि कोई संचित हानि हो तो उसे छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी।

@ आस्तियों पर प्रतिफल की गणना औसत कार्यशील निधि (अर्थात, संचित हानियों को छोड़कर आस्तियों का कुल योग, यदि कोई हो) के संदर्भ में की जाएगी।

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी के आरंभिक शेष और वर्ष के अंत में इक्विटी के समापन शेष के औसत के संदर्भ में की जाएगी। आस्तियों पर प्रतिफल की गणना औसत कार्यशील निधि (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर आस्तियों का कुल योग) के संदर्भ में की जाएगी, जिसकी गणना पिछले लेखा वर्ष के अंत, आगामी छमाही के अंत और वर्तमान लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में की जाएगी।

(9) क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम

(i) **पूंजी बाज़ार प्रकटीकरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका मूलधन विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;		
(ii)	शेयरों/बॉन्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्वच्छ आधार पर व्यक्तियों को शेयर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर, और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए दिए गए अग्रिम;		
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए अग्रिम, जिनमें शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली गई हों;		

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(iv) शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए अग्रिम, अर्थात् जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		
(v) स्टॉकब्रोकरों को दिए गए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;		
(vi) नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए, संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में, शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण; (vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/जारी किए जाने के बदले कंपनियों को दिए गए ब्रिज लोन;		
(viii) शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गमन के संबंध में एआईएफआई द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं;		
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकर को वित्तपोषण;		
(x) वेंचर कैपिटल फंड (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी जोखिम		
निवेश बाजार में कुल एक्सपोजर		

नोट - सूचीबद्ध कंपनियों के बकाया के पुनर्गठन के लिए, ऋणदाता को कंपनी के इक्विटी शेयर जारी करके, मौजूदा नियमों और सांविधिक आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए, अपने नुकसान/त्याग (वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) की अग्रिम भरपाई की जा सकती है। यदि इक्विटी शेयर के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी / बाजार जोखिम (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, तो इसका प्रकटीकरण वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'खातों के

नोट्स' में किया जाएगा। एक एआईएफआई को रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का विवरण अलग से प्रकट करना होगा, जो सीएमई सीमाओं से मुक्त हैं।

(ii) **जोखिम श्रेणीवार देश का एक्सपोजर**

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी *	**मार्च तक कुल एक्सपोजर (निवल)... (चालू वर्ष)**	**मार्च तक उपलब्ध प्रावधान... (चालू वर्ष)**	**मार्च तक कुल एक्सपोजर (निवल)... (पिछला वर्ष)**	**मार्च तक उपलब्ध प्रावधान... (पिछला वर्ष)**
निरर्थक				
न्यून				
मध्यम				
उच्च				
सर्वोच्च				
प्रतिबंधित				
ऑफ-क्रेडिट				
कुल				

नोट - एएफआई देश जोखिमों के वर्गीकरण और प्रावधान करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाई गई सात-श्रेणी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग कर सकता है। ईसीजीसी अनुरोध पर एएफआई को अपने देश वर्गीकरण की त्रैमासिक अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव की स्थिति में सभी एएफआई को सूचित करेगा।

(iii) **विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएँ - एकल प्रतिपक्ष / संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह द्वारा एआईएफआई द्वारा सीमा का उल्लंघन**

(ए) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से अधिक जोखिमों की संख्या और राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र सं.	**पैन**	**उधारक का नाम**	**उद्योग कोड**	**उद्योग का नाम**	**सैक्टर**	**राशि गैर-वित्तपोषित**	**राशि गैर-वित्तपोषित**	**पूंजी के प्रतिशत के रूप में टियर1 पूंजी**
1.								

					कुल	0.00	0.00	0.00%

नोट–

(i) जोखिम का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - एकाग्रता जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 के अनुसार किया जाएगा।

(ii) कृपया बताएं कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से या उसके बिना सीमा का उल्लंघन किया गया है।

(बी) ऋण जोखिम प्रतिशत के रूप में 1 पूंजी और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में, के संबंध में:

(i) सबसे बड़ा एकल प्रतिपक्ष;

(ii) संबंधित प्रतिपक्षों का सबसे बड़ा समूह;

(iii) 20 सबसे बड़े एकल प्रतिपक्ष; और

(iv) संबंधित प्रतिपक्षों के 20 सबसे बड़े समूह।

(सी) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) के लिए ऋण जोखिम।

(डी) उन सभी अग्रिमों की कुल राशि जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं, साथ ही ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य। ऐसे ऋणों को अन्य पूर्णतः असुरक्षित ऋणों से अलग करने के लिए, इस जानकारी को एक अलग शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
कुल असुरक्षित अग्रिम		
उपरोक्त में से, वह अग्रिम राशि जिसके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं।		
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य		

(ई) फैक्टरिंग जोखिमों का अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iv) **उधार / ऋण व्यवस्था, ऋण एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण (यदि लागू हो तो एकल और समेकित स्तर पर अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए)**

(ए) उधारों और ऋण व्यवस्था का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार		
एआईएफआई के कुल उधारों के मुकाबले बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से लिए गए उधारों का प्रतिशत		

नोट - 'ऋण एक्सपोजर ' में वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित ऋण सीमाएं, अंडरराइटिंग और अन्य समान प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के लिए स्वीकृत सीमा या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, को आधार माना जाएगा। सावधि ऋणों के मामले में, एक्सपोजर सीमा की गणना वास्तविक बकाया राशि और अवितरित या बिना उपयोग की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर की जानी चाहिए। हालांकि, जिन मामलों में संवितरण अभी शुरू नहीं हुआ है, उनमें जोखिम सीमा की गणना स्वीकृत सीमा या उस सीमा के आधार पर की जानी चाहिए, जिस तक एआईएफआई ने समझौते के अनुसार उधार लेने वाली कंपनियों के साथ प्रतिबद्धताएं की हैं। एआईएफआई को गैर-वित्तपोषित ऋण सीमा में विदेशी मुद्रा में फॉरवर्ड अनुबंधों और अन्य डेरिवेटिव उत्पादों जैसे करेंसी स्वैप, विकल्प आदि की ऋण समतुल्य राशि को मौजूदा जोखिम मानदंडों के अनुसार शामिल करना चाहिए।

(बी) ऋण एक्सपोजर का संकेंद्रण *

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के प्रति कुल जोखिम		
एआईएफआई के कुल अग्रिमों के मुकाबले बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के प्रति जोखिम का प्रतिशत		
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के साथ कुल संपर्क		
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत, उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एआईएफआई के कुल जोखिम के अनुपात में।		

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एक्जिम बैंक के मामले में, शीर्ष दस देशों के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत कुल एक्सपोजर के लिए है।		

* भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार क्रेडिट एक्सपोजर में डेरिवेटिव शामिल हैं।

(सी) क्षेत्रवार एक्सपोजर और एनपीए की सांद्रता

एक एआईएफआई को निम्नलिखित प्रारूपों में उन उप-क्षेत्रों का प्रकटीकरण करना होगा जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग को दिए गए बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, तो उसे खनन को दिए गए अपने बकाया अग्रिमों का विवरण उपरोक्त प्रारूप में 'उद्योग' क्षेत्र के अंतर्गत अलग से प्रकट करना होगा।

एक्ज़िम बैंक

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं,	सेक्टर	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
ए	**घरेलू क्षेत्र**						
1	**कुल निर्यात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
2	**कुल आयात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
3.	**(ए) में से, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत जोखिम शामिल हैं।**						
बी	**बाहरी क्षेत्र**						
1	**कुल निर्यात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
2	**कुल आयात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						

क्र.सं,	सेक्टर	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत**	**शेष कुल अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत**
	सेवा क्षेत्र						
3.	**(बी) में, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत जोखिम शामिल हैं।**						
सी	**अन्य एक्सपोज़र**						
डी	**कुल एक्सपोज़र** (**a**ए+बी+सी)						

नाबार्ड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं,	सेक्टर	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
I.	कृषि क्षेत्र, जिसमें संबद्ध कृषि गतिविधियाँ भी शामिल हैं।						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)						
II.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)						
	कुल (I+II)						

एनएचबी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं,	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
I.	आवास क्षेत्र						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	एचएफसी						
9.	निजी क्षेत्र (बैंकों और एचएफसी को छोड़कर)						
II.	वाणिज्यिक अचल संपत्ति, यदि कोई हो$						
III.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)						
	कुल (I+II+III)						

$ वाणिज्यिक अचल संपत्ति में निवेश में वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित प्रत्यक्ष और प्रतिभूतिकृत निवेश शामिल हैं। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।

<u>सिडबी</u>

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं,	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)						
II.	सूक्ष्म वित्त क्षेत्र						
III.	अन्य						

क्र.सं,	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
	कुल (I+II+III)						

<u>एनएबीएफ़आईडी (नैबफ़िड)</u>

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं,	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
I.	भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	वित्तीय संस्थान						
6.	निजी क्षेत्र (वित्तीय संस्थाओं के अलावा)						
7.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)						
II.	भारत के बाहर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (आंशिक रूप से भारत में स्थित परियोजनाओं सहित)						

क्र. सं,	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत	शेष कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के मुकाबले सकल गैर-प्राप्त ऋणों का प्रतिशत
III.	अन्य विकास परियोजनाएं						
	कुल (I+II+III)						

(v) **असंरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

एआईएफआई को मुद्रा-प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए अपनी नीतियों का प्रकटीकरण करना होगा। साथ ही, उसे इस जोखिम के लिए अपने द्वारा रखी गई अतिरिक्त व्यवस्था और पूंजी का भी प्रकटीकरण करना होगा।

[1][(vi) **संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र**

भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – क्रेडिट जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में परिभाषित संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अ. संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋण		
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत किए गए ऋणों का कुल मूल्य		
2	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य		
3	दिनांक 31 मार्च को कुल अस्तित्व (एक्सपोज़र) के अनुपात में संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य (प्रतिशत में)		
4	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जिनका वर्गीकरण निम्न के रूप में है:		
	(i) दिनांक 31 मार्च को विशेष उल्लेख खाते		
	(ii) दिनांक 31 मार्च को निष्पादनकारी अचल परिसंपत्तियाँ		

[1] दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से सम्मिवेशित किया गया।

5	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में प्रावधानों की राशि		
	ब. संबंधित पक्षों से संबंधित अनुबंध एवं व्यवस्थाएँ		
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		
7	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		

]

(10) **व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)**

(i) **फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
i) स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन		
ii) यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो होने वाली हानियाँ		
iii) स्वैप में प्रवेश करने पर एआईएफआई द्वारा आवश्यक संपार्श्विक		
iv) स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण $		
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य @		

नोट - क्रेडिट और बाजार जोखिम संबंधी जानकारी और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों सहित स्वैप की प्रकृति और शर्तों का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

$ एकाग्रता के उदाहरणों में विशिष्ट उद्योगों के प्रति जोखिम या अत्यधिक कर्ज वाली कंपनियों के साथ अदला-बदली शामिल हो सकती है।

@ यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो तुलन-पत्र की तिथि पर स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए एआईएफआई को प्राप्त होगी या वह भुगतान करेगी। ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य उसका मार्क-टू-मार्केट मूल्य होगा।

(ii) **एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं,	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत के अनुसार)		
(ii)	31 मार्च की तिथि तक बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि ..... (लिखत के अनुसार)		
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि जो बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के हिसाब से)		
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स का मार्क टू मार्केट मूल्य, जो बकाया हैं और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं हैं (लिखत के हिसाब से)।		

(iii) **डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

(ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

एआईएफआई को डेरिवेटिव्स से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें विशेष रूप से डेरिवेटिव्स के उपयोग की सीमा, संबंधित जोखिम और उनके

द्वारा प्राप्त व्यावसायिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

(i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

(ii) जोखिम मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति,

(iii) जोखिम को कम करने और/या उससे बचाव के लिए नीतियां और बचाव/निवारक उपायों की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं, और

(iv) हेज और नॉन-हेज लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; और प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण।

(बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	**विवरण**	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
		मुद्रा डेरिवेटिव	**ब्याज दर डेरिवेटिव**	**मुद्रा डेरिवेटिव**	**ब्याज दर डेरिवेटिव**
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूलधन राशि)				
	ए) हेजिंग के लिए				
	बी) ट्रेडिंग के लिए				
(ii)	बाजार मूल्य के अनुरूप स्थितियाँ [1]				
	ए) आस्ति (+)				
	बी) देयता (-)				
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर [2]				
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	ए) डेरिवेटिव्स की हेजिंग पर				
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर				
(v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 मान देखे गए।				

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		मुद्रा डेरिवेटिव	**ब्याज दर डेरिवेटिव**	**मुद्रा डेरिवेटिव**	**ब्याज दर डेरिवेटिव**
	ए) हेजिंग पर				
	बी) ट्रेडिंग पर				

नोट:

1. प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, निवल स्थिति को आस्ति या देयता के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।
2. एआईएफआई, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि को अपना सकती है।

(11) आईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण

एआईएफआई को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का पूरा विवरण देना होगा, जिसमें उनके मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव के साथ-साथ अतीत में जारी किए गए और बकाया एलओसी के तहत उनके मूल्यांकित संचयी वित्तीय दायित्वों का विवरण भी शामिल होगा।

(12) आस्ति देयता प्रबंधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 तक year	1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक	3 साल से अधिक और 5 साल तक	5 से अधिक वर्षों	कुल
जमा*									
अग्रिम									
निवेश									
उधार									
विदेशी मुद्रा आस्तियां									
विदेशी मुद्रा देनदारियां									

(13) आरक्षित निधियों से निकासी

भंडार से किसी भी प्रकार की निकासी के संबंध में उचित जानकारी दी जाएगी।

(14) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या अधिनियम, आदेश, नियम या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य आवश्यकता का अनुपालन न करने पर लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा।:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण दिया जाएगा जिनके तहत एआईएफआई पर जुर्माना लगाया गया है, साथ ही सार्वजनिक डोमेन में जुर्माना लगाने संबंधी संचार भी जारी किया जाएगा।

(ii) संबंधित एआईएफआई की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन-पत्र के 'खातों पर नोट्स' में जुर्माने का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iii) विदेशी शाखा के मामले में, दंड का प्रकटीकरण उसके भारतीय परिचालन के लिए अगली तुलन-पत्र के 'खातों पर नोट्स' में किया जाएगा।

(15) ग्राहक शिकायतों का प्रकटीकरण

		चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या		
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(c)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या		
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		

(16) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

वार्षिक लेखा-पत्रों में, प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि, विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) के बही-खातों के अनुसार, तथा न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए तुलन-पत्र की तिथि तक प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि, प्रतिभूतिकृत आस्तियों के प्रवर्तकों

द्वारा दर्शायी जाएगी। ये आंकड़े एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होंगे, जो प्रतिभूतिकृत संस्था द्वारा एसपीई से प्राप्त की गई हो। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका के प्रारूप में किए जाने चाहिए।

(संख्या / राशि ₹ करोड़ में))

kक्र. सं.	विवरण	31 मार्च (चालू वर्ष)	31 मार्च (पिछला वर्ष)
1.	मूलकर्ता द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाएगी)		
2.	एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलन-पत्र की तिथि पर एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बरकरार रखी गई कुल एक्सपोजर राशि		
	ए) ऑफ-बैलेंसशीट एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य		
	बी) ऑन-बैलेंसशीट एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन के प्रति जोखिम की राशि		
	ए) ऑफ-बैलेंसशीट एक्सपोज़र i) स्वयं के प्रतिभूतिकरणों के प्रति जोखिम • पहली हानि • अन्य ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरणों के प्रति जोखिम •पहली हानि		

kक्र. सं.	विवरण	31 मार्च (चालू वर्ष)	31 मार्च (पिछला वर्ष)
	• अन्य		
	बी) ऑन-बैलेंसशीट एक्सपोज़र i) स्वयं के प्रतिभूतिकरणों के प्रति जोखिम •पहली हानि • अन्य ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरणों के प्रति जोखिम •पहली हानि • अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ/हानि		
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।		
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से विवरण दें, जैसे कि ऋण संवर्धन, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार प्रतिशत कोष्ठक में लिखें। (ए) राशि का भुगतान (बी) पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ (सी) बकाया राशि		
8.	पिछले समय में पोर्टफोलियो की औसत चूक दर का विवरण दें। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग (जैसे, आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि) के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें।		*(इसमें पिछले 5 वर्षों की औसत चूक दर का उल्लेख किया जा सकता है।)*
9.	एक ही मूल आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋणों की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक		

kक्र. सं.	विवरण	31 मार्च (चालू वर्ष)	31 मार्च (पिछला वर्ष)
	आस्ति वर्ग (जैसे, आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि) के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें।		
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) लंबित शिकायतें		

नोट - 'सरल, पारदर्शी और तुलनीय' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग-अलग तालिकाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

एआईएफआई को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

(17) **ऑफ-बैलेंसशीट स्पॉन्सर्ड एसपीवी (जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकन आवश्यक है)**

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**ओवरसीज**

(18) **विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण**

(i) **लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन** जहां भी आवश्यक हो, इन खुलासों को 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' में दर्ज किया जाएगा। एआईएफआई को पूर्व अवधि की आय या व्यय की किसी भी मद के संबंध में एएस 5 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जो एआईएफआई की कुल आय/कुल व्यय के एक प्रतिशत से

अधिक हो (यदि आय/व्यय की गणना सकल आधार पर की जाती है) या करों से पूर्व निवल लाभ या निवल हानि के एक प्रतिशत से अधिक हो (यदि आय की गणना लागतों को घटाकर की जाती है)।

(ii) **लेखा मानक 17 – प्रखण्ड लेखांकनखंड**

'एएस 17 – सेगमेंट रिपोर्टिंग' के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए सांकेतिक प्रारूप नीचे दिए गए हैं।

प्रारूप

भाग अ: व्यावसायिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय के क्षेत्र →	**कोषागार**		**थोक परिचालन (पुनर्वित्त)**		**थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)**		**अन्य व्यवसाय**		**कुल**	
विवरण ⇩	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
राजस्व										
परिणाम										
आवंटित व्यय										
परिचालन लाभ										
आकार										
आयकर असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ										
अन्य जानकारी:										
खंड आस्तियाँ										
आवंटित आस्तियाँ										
कुल आस्तियाँ										
खंड देनदारियाँ										
आवंटित देनदारियाँ										
कुल देनदारियाँ										

नोट: छायांकित भाग में किसी प्रकार का प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है।

भाग बी: भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

	घरेलू		**अंतरराष्ट्रीय**		**कुल**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**

नोट -

(ए) व्यावसायिक खंड को सामान्यतः प्राथमिक रिपोर्टिंग प्रारूप माना जाएगा तथा भौगोलिक खंड द्वितीयक रिपोर्टिंग प्रारूप होगा।

(बी) व्यावसायिक खंड 'कोषागार', थोक परिचालन (पुनर्वित्त)', थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)', 'अन्य व्यवसाय' होंगे।

(सी) घरेलू' और 'अंतर्राष्ट्रीय' खंड प्रकटीकरण के लिए भौगोलिक खंड होंगे।

(डी) एआईएफआई उचित और सुसंगत आधार पर, विभिन्न खंडों के बीच व्यय के आवंटन के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों को अपना सकता है।

(ई) 'कोषागार' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।

(एफ) अन्य व्यवसाय में वे सभी वित्तीय गतिविधियाँ शामिल हैं जो तीन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसमें अन्य सभी अवशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल होंगी, जिनमें पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

(जी) उपर्युक्त खंडों के अतिरिक्त, एआईएफआई अतिरिक्त खंडों की रिपोर्ट करेगा जो रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं।

(iii) **लेखा मानक 18 – सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति संबंधित**

प्रारूप (राशि ₹ करोड़ में)

वस्तुएँ / संबंधित पक्ष	मूल संस्था (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधारी #						
जमा #						
जमा की नियुक्ति #						
अग्रिम #						
निवेश#						
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएं #						
लीजिंग व्यवस्था का लाभ उठाया गया #						
लीजिंग की व्यवस्था प्रदान की गई #						
अचल संपत्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों की बिक्री						
भुगतान किया गया ब्याज						
प्राप्त ब्याज						

वस्तुएँ / संबंधित पक्ष	मूल संस्था (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
सेवाओं का प्रावधान *						
सेवाओं की प्राप्ति *						
प्रबंधन करार*						

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है।

*संविदा सेवाएं आदि, न कि धन प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं।

नोट -

(ए) जहां संबंधित पक्ष की किसी श्रेणी में केवल एक ही इकाई है, वहां एआईएफआई को उस संबंधित पक्ष के साथ संबंध के अलावा उस संबंधित पक्ष से संबंधित कोई भी विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) किसी एआईएफआई के लिए संबंधित पक्ष उसके मूल संस्थान, अनुषंगी कंपनी/कंपनियों, सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार होते हैं। केएमपी एआईएफआई के पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। केएमपी के रिश्तेदारों का विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एस में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।

(सी) संबंधित पक्ष संबंध का नाम और प्रकृति प्रकट की जाएगी, चाहे लेन-देन हुआ हो या नहीं, जहां मानक के अर्थ में नियंत्रण मौजूद हो। सामान्यतः मूल-अनुषंगी कंपनी संबंध के मामले में नियंत्रण मौजूद होता है। प्रकटीकरण उपरोक्त संबंधित पक्ष श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए कुल योग तक सीमित हो सकता है और यह वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति से संबंधित होगा।

(डी) लेखांकन मानक राज्य-नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी देने से छूट देता है, जो स्वयं भी राज्य-नियंत्रित उद्यम हैं। अतः, एआईएफआई को अपनी अनुषंगी कंपनियों या अन्य राज्य-नियंत्रित संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उसे अन्य संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।

(ई) गोपनीयता प्रावधान: यदि संबंधित पक्षों की उपरोक्त श्रेणी में केवल एक ही संबंधित पक्ष इकाई है, तो किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण सामान्य गोपनीयता कानूनों या एआईएफआई के कामकाज को नियंत्रित करने वाले संबंधित कानूनों में निर्धारित गोपनीयता से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों (यदि कोई हो) का उल्लंघन माना जाएगा। एएस 18 के अनुसार, प्रकटीकरण की आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं जब ऐसे प्रकटीकरण रिपोर्टिंग उद्यम के गोपनीयता कर्तव्यों के साथ टकराव पैदा करते हैं, जैसा कि कानून, विनियामक या इसी तरह के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से आवश्यक है। इसके अलावा, यदि किसी उद्यम को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या विनियामक उद्यम को कुछ ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करने से रोकता है, जिसका प्रकटीकरण करना आवश्यक है, तो ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण न करना लेखा मानकों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ग्राहक विवरणों की गोपनीयता बनाए रखने के एआईएफआई के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सामान्य कानून कर्तव्य के कारण, उसे ऐसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां लेखांकन मानकों के तहत किए गए प्रकटीकरण किसी भी श्रेणी के संबंधित पक्ष के संबंध में एकत्रित प्रकटीकरण नहीं हैं, यानी जहां संबंधित पक्ष की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही इकाई है, वहां एआईएफआई को उस संबंधित पक्ष के साथ संबंध के अलावा उस संबंधित पक्ष से संबंधित कोई भी विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय-V समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग (सीपीआर) आवश्यकताएँ

ए. दायरा

20. यदि किसी एआईएफआई की कोई अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी इकाइयां हैं, तो सीएफएस के अतिरिक्त, उसे पैराग्राफ 32 में निर्धारित अनुसार संपूर्ण समूह से संबंधित सीपीआर भी तैयार करना होगा, जिसमें उसके नियंत्रण में आने वाली सभी इकाइयां शामिल होंगी। इन रिपोर्टों को तैयार करते समय एआईएफआई को पैराग्राफ 26 से 31 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। समेकित एआईएफआई के सीपीआर में एआईएफआई की उन संबंधित इकाइयों (अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी इकाइयों और संयुक्त उद्यमों) की जानकारी और खाते शामिल होंगे जो वित्तीय प्रकृति की गतिविधियां करती हैं। एआईएफआई को सीपीआर के प्रयोजन से किसी भी इकाई को बाहर रखने का औचित्य सिद्ध करना होगा।

बी. आवृत्ति

21. सीपीआर को ऑफ-साइट रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत अर्धवार्षिक आधार पर सीएफएस तैयार करने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाएगा। मार्च में समाप्त छमाही के लिए सीपीआर जून के अंत तक प्रस्तुत किया जाएगा। यदि सीपीआर के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लेखापरीक्षित परिणाम उपलब्ध नहीं हैं, तो एआईएफआई जून के अंत तक ऐसी संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित परिणामों सहित अनंतिम सीपीआर और सितंबर के अंत तक अंतिम स्थिति प्रस्तुत करेगा। सितंबर में समाप्त छमाही के लिए सीपीआर दिसंबर के अंत तक प्रस्तुत किया जाएगा।

नोट - एनएचबी के मामले में, बिना लेखा-परीक्षा किए गए परिणामों सहित अनंतिम सीपीआर सितंबर के अंत तक और अंतिम स्थिति दिसंबर के अंत तक प्रस्तुत की जा सकती है।

सी. प्रारूप

22. एआईएफआई को सीपीआर (समेकित वित्तीय रिपोर्ट) के लिए वही प्रारूप अपनाना होगा जो संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित एकल तुलन-पत्र में होता है, जिसमें उचित संशोधन/टिप्पणियाँ शामिल होंगी। सीपीआर में समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित एआईएफआई की वित्तीय/जोखिम प्रोफ़ाइल से संबंधित चयनित डेटा शामिल होता है।

डी. अन्य समेकन अनुदेश

23. गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के अधीन संचालित संबंधित संस्थाओं के संबंध में, जो मूल संस्था को धन अंतरित करने की उनकी क्षमता को काफी हद तक बाधित करते हैं, एक एआईएफआई को ऐसी संबंधित संस्थाओं से देय राशियों का बही मूल्य और उनसे वसूली योग्य निवल राशियों का अलग से प्रकटीकरण करना होगा। एआईएफआई को कमी के लिए उचित प्रावधान करने पर भी विचार करना होगा।

ई. समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर) दाखिल करने के लिए मार्गदर्शन

ई1. परिचय

24. सीपीआर का उद्देश्य उस समूह के स्तर पर समेकित विवेकपूर्ण जानकारी एकत्र करना है जिससे पर्यवेक्षित संस्था संबंधित है। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर डेटा एकत्र करना है।

(i) निर्धारित प्रारूप में समेकित तुलन-पत्र डेटा।

(ii) निर्धारित प्रारूप में समेकित लाभ एवं हानि खाता।

(iii) समेकित एआईएफआई के वित्तीय/जोखिम प्रोफ़ाइल पर चयनित डेटा: प्रारूप के अनुसार समेकित वित्तीय डेटा, बड़े एक्सपोज़र पर डेटा, विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र, समूह के लिए सीआरआर और एसएलआर तथा समेकित एआईएफआई के लिए संरचनात्मक चलनिधि प्रोफ़ाइल।

ई2. वापसी की आवधिकता

25. रिटर्न दाखिल करने की आवधिकता 31 मार्च / 30 सितंबर को अर्धवार्षिक है (एनएचबी के मामले में 30 जून / 31 दिसंबर)।

ई3. सामान्य दिशानिर्देश

26. सीपीआर के भाग के रूप में समेकित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाते को संकलित करने के लिए, सीएफएस तैयार करने के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है।

ई4 .सीपीआर

27. समेकित एआईएफआई के वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय आंकड़ों के लिए, प्रारूप के अनुसार (समेकित एआईएफआई स्तर पर), सीपीआर के लिए तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाते की तैयारी हेतु सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

28. बड़े एक्सपोजर

(1) किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता या उधारकर्ता समूह के प्रति समूह का कुल ऋण जोखिम, वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित दोनों प्रकार के जोखिमों को समाहित करता है। जोखिम सीमा के लिए, बकाया राशि या स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी अधिक हो, उसकी रिपोर्ट की जाएगी। समेकित एआईएफआई की विभिन्न संस्थाओं के जोखिमों का समेकन रिपोर्टिंग संस्था द्वारा इस खंड को संकलित करने के लिए किया जाएगा। वित्तपोषित जोखिमों में ऋण और अग्रिम (खरीदे गए/छूट प्राप्त बिलों सहित), और बांड/डिबेंचर और इक्विटी में निवेश शामिल हैं। गैर-वित्तपोषित जोखिमों में गारंटी (वित्तीय), गारंटी (गैर-वित्तीय), साख पत्र, अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं आदि शामिल हैं।

(2) समेकित एआईएफआई द्वारा किसी एक उधारकर्ता/देनदार को दिया गया ऋण उसके पूंजी कोष के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। समेकित एआईएफआई द्वारा उधारकर्ता/देनदार समूह को दिया गया ऋण उसके पूंजी कोष के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उधारकर्ता/देनदार समूह पर कुल ऋण 40 प्रतिशत के निर्धारित ऋण मानदंड से अतिरिक्त 10 प्रतिशत (अर्थात 50 प्रतिशत तक) अधिक हो सकता है, बशर्ते यह अतिरिक्त ऋण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण

के उद्देश्य से हो। पूंजी कोष, ऋण आदि की गणना एआईएफआई के लिए अपनाई गई पद्धति के अनुसार की जाएगी।

(3) इस खंड में, उन मामलों की रिपोर्ट की जाएगी जहां व्यक्तिगत उधारकर्ता या उधारकर्ता समूह के मामले में विनियामक मानदंड का उल्लंघन हुआ हो। कम से कम, समेकित एआईएफआई के व्यक्तिगत उधारकर्ताओं/उधारकर्ता समूह के शीर्ष 20 बड़े ऋणों की रिपोर्ट की जाएगी।

29. विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

समेकित एआईएफआई के लिए रात्रिकालीन खुली स्थिति सीमा का कुल योग यहां दर्ज किया जा सकता है। जहां रात्रिकालीन खुली स्थिति सीमा निर्धारित नहीं है, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए अवधि के दौरान अधिकतम रात्रिकालीन खुली स्थिति को समेकन के लिए लिया जा सकता है। यह स्थिति विभिन्न संस्थाओं के बीच नेटिंग किए बिना दर्ज की जा सकती है।

30. पूंजी बाज़ार एक्सपोजर

पूंजी बाजार में निवेश की गणना मूल एआईएफआई के समान ही की जाएगी। पूंजी बाजार में दिए गए अग्रिम (निधि-आधारित) ऋणों में व्यक्तियों, शेयर और स्टॉक ब्रोकरों, बाजार निर्माताओं आदि को दिए गए ऋण शामिल होंगे, जबकि पूंजी बाजार में गैर-निधि-आधारित सुविधाओं में स्टॉक ब्रोकरों की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को जारी की गई वित्तीय गारंटी और अन्य वित्तीय गारंटी शामिल होंगी। पूंजी बाजार में इक्विटी निवेश में इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड और परिवर्तनीय बांड और डिबेंचर शामिल होंगे।

31. समेकित एआईएफआई के लिए संरचनात्मक चलनिधि स्थिति

इस अनुभाग का उद्देश्य समेकित एआईएफआई के लिए नकदी प्रवाह और बहिर्वाह की परिपक्वता संरचना को दर्शाना है, जिसे आठ परिपक्वता श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन आठ समय श्रेणियों में समेकित एआईएफआई द्वारा अनुभव की जाने वाली परिपक्वता विसंगतियां या अंतर समेकित एआईएफआई के सामने आने वाले चलनिधि जोखिम को इंगित करेंगे। समूह के भीतर के लेनदेन और जोखिमों को इस समेकन से बाहर रखा जाएगा।

32. सीपीआर का प्रारूप निम्नानुसार होगा।

(1) समेकित एआईएफआई के लिए वित्तीय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पैरामीटर	धन राशि
1	कुल आस्तियां	
2	पूंजी और आरक्षित निधियां	
3	विनियामक पूंजी (वास्तविक/काल्पनिक) – नेटिंग के बाद consolidation	
4	जोखिम-भारित आस्तियाँ (वास्तविक/ काल्पनिक)	
5	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (वास्तविक/ काल्पनिक) (%)	
6	कुल जमा निधियां	
7	कुल उधारी	
8	कुल अग्रिम (सकल)	
9	कुल अनर्जक अग्रिम (सकल)	
10	कुल निवेश (अंकित मूल्य)	
11	कुल निवेश (बाजार मूल्य)	
12	कुल अनर्जक निवेश	
13	कुल अनर्जक आस्तियाँ (अनर्जक अग्रिम और निवेश सहित) (आइटम 9 और 12)	
14	निष्पादित अग्रिमों के लिए निर्धारित प्रावधान	
15	निष्पादित निवेशों के लिए निर्धारित प्रावधान	
16	कर पूर्व लाभ (छमाही/वर्ष सितंबर/मार्च को समाप्त)	
17	कर पश्चात लाभ (छमाही/वर्ष सितंबर/मार्च को समाप्त)	
18	आस्तियों पर प्रतिफल (छमाही/वर्ष सितंबर/मार्च को समाप्त)	
19	इक्विटी पर प्रतिफल (छमाही/वर्ष सितंबर/मार्च को समाप्त)	
20	कुल अप-संतुलन पत्रक ऋण (आकस्मिक ऋण)	
21	कुल भुगतान किए गए लाभांश (छमाही/वर्ष सितंबर/मार्च को समाप्त)	

(2) बड़े एक्सपोजर्स

(vi) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के प्रति बड़े एक्सपोजर्स

नोट - विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट की जा सकती है। कम से कम, समेकित एआईएफआई के व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के प्रति शीर्ष 20 बड़े ऋणों की रिपोर्ट की जा सकती है।

(vii) उधारकर्ता समूहों के प्रति बड़े जोखिम

क्रम संख्या	ऋण लेने वाले समूह का नाम / नाम	समूह का नाम	वित्तपोषित राशि	गैर-वित्तपोषित राशि	पूंजी निधि के लिए %
1.					
		कुल	0.00	0.00	0.00%
कुल			0.00	0.00	0.00%

नोट: विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट की जा सकती है। कम से कम, समेकित एआईएफआई के उधारकर्ता समूहों के प्रति शीर्ष 20 बड़े ऋणों की रिपोर्ट की जा सकती है।

(viii) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर्स

	धन राशि
समेकित एआईएफआई के लिए रात्रिकालीन खुली स्थिति सीमा का कुल योग *	

* नोट: जहां रात्रिकालीन रिक्त पदों की सीमा निर्धारित नहीं है, वहां उस अवधि के दौरान ऐसे संस्थानों के लिए अधिकतम रात्रिकालीन रिक्त पदों की संख्या ली जा सकती है। संस्थानों के बीच नेटिंग किए बिना भी इस पद की रिपोर्ट की जा सकती है।

(ix) समेकित एआईएफआई के पूंजी बाजारों के प्रति जोखिम

विवरण	धन राशि
1. पूंजी बाजार में प्रगति ए. निधि आधारित बी. गैर-निधि आधारित	

2. पूंजी बाजार में इक्विटी निवेश	
3. कुल पूंजी बाजार जोखिम (1 + 2)	
4. पिछले मार्च माह के समेकित एआईएफआई की कुल तुलन-पत्र संपत्ति (अमूर्त संपत्तियों और संचित हानियों को छोड़कर)	
5. समेकित एआईएफआई की कुल तुलन-पत्र आस्तियों (अमूर्त आस्तियों और संचित हानियों को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी बाजार जोखिम (प्रतिशत में) (पिछले मार्च में)	
6. कुल संपत्ति (पूंजी और आरक्षित निधियाँ)	
7. पूंजी बाजार में इक्विटी निवेश (शेयर, परिवर्तनीय बांड और डिबेंचर तथा इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश) कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत में)	

नोट - पूंजी बाजार जोखिम की गणना मूल बैंक की गणना के समान ही होती है।

(x) समेकित एआईएफआई के लिए असुरक्षित गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के प्रति जोखिम

1. उत्कृष्ट असुरक्षित गारंटी	
2. बकाया असुरक्षित अग्रिम	
3. कुल शेष अग्रिम	
4. एआईएफआई की बकाया असुरक्षित गारंटी का 20 प्रतिशत, साथ ही बकाया असुरक्षित अग्रिमों का कुल प्रतिशत (प्रतिशत में)	

नोट - यह गणना मूल एआईएफआई की गणना के समान है।

(xi) समेकित एआईएफआई के लिए संरचनात्मक चलनिधि स्थिति

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1. पूंजी									
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष									
3. जमा									
4. उधारी									
4.1. कॉल और अल्प सूचना									
4.2. अंतर-संस्थागत* (अवधि)									
4.3. पुनर्वित्त									
4.4. अन्य									
5. अन्य देनदारियां और प्रावधान									
5.1. देय बिल									
5.2. अंतर-कार्यालय समायोजन									
5.3. प्रावधान									
5.4. अन्य									
6. लाइन ऑफ क्रेडिट-प्रतिबद्ध:									
6.1. संस्था									
6.2. ग्राहक									
7. कार्यशील पूंजी के नकद ऋण/अतिरिक्त ऋण/मांग ऋण घटक का अनुपलब्ध भाग									

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
8. साख पत्र / गारंटी									
9. रेपो									
10. पुनर्वितरित बिल (डीयूपीएन)									
11. स्वैप (खरीद/बिक्री)									
12. देय ब्याज									
13. अन्य									
ए. कुल बहिर्प्रवाह									
1. नकद									
2. आरबीआई के साथ शेष									
3. अन्य बैंकों के साथ शेष राशि									
3.1. चालू खाता									
3.2. तुरंत भुगतान, अल्प सूचना पर									
3.3 सावधि जमा और अन्य निवेश									
4. निवेश (रिपोज़ के अंतर्गत आने वाले रिपोज़ सहित, लेकिन रिवर्स रिपोज़ को छोड़कर)									
5. अग्रिम (कार्य-निष्पादन)									
5.1. खरीदे और छूट प्राप्त किए गए बिल (डीयूपीएन के अंतर्गत बिल सहित)									

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
5.2 नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण									
5.3. सावधि ऋण									
6. एनपीए (अग्रिम और निवेश)									
7. अचल आस्तियां									
8. अन्य आस्तियां									
8.1. अंतर-कार्यालय समायोजन									
8.2. अन्य									
9. रिवर्स रिपो									
10. स्वैप (बेचना/खरीदना) / परिपक्व होने वाले फॉरवर्ड									
11. पुनर्वितरित बिल डीयूपीएन									
12. प्राप्त करने योग्य ब्याज									
13. प्रतिबद्ध ऋण रेखाएँ									
बी. कुल अंतर्वाह									
सी. बेमेल (बी-ए)									
डी. संचयी बेमेल									
ई. सी का aए से प्रतिशत									

* अंतर-संस्थागत उधारों में विनियमित वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार शामिल होंगे।

अध्याय-VI निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

33. इन निदेशों के जारी होने के साथ, वित्तीय विवरणों से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश - अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान पर यथालागू प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है, निरस्त हो गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों का निरसन जारी रहेगा।

34. इस तरह के निरसन के बावजूद निरसित निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की गई कोई कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरसित सूची के अंतर्गत प्रदत्त सभी अनुमोदन अथवा पावती इन निदेशों द्वारा शासित माने जाएंगे। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

ए. कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता जो उसके तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत की गई है;

बी. इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी जुर्माना, जब्ती या सजा;

सी. किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसी कोई भी दंड, जब्ती या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का लागू करना प्रतिबंधित नहीं है

35. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उन्हें अवमानना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

36. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझता है, यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी. एस. नायर)

मुख्य महाप्रबंधक